

झारखंड मंत्रमिंडल शपथ लेगा

चर्चा में क्यों?

झारखंड के 12 सदस्यीय मंत्रमिंडल में दस मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रांची के राजभवन में होगा।

प्रमुख बातें

- राज्यों में **मंत्रपिरिषिद** का गठन और कार्य उसी प्रकार होता है जैसे केंद्र में मंत्रपिरिषिद का होता है (**अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164**)।
- **अनुच्छेद 163** में कहा गया है कि विविकाधीन शर्तों को छोड़कर, **राज्यपाल** को अपने कार्यों के निवेहन में सहायता और सलाह देने के लिये **मुख्यमंत्री** की अध्यक्षता में एक मंत्रपिरिषिद होगी।
 - विविकाधीन शक्तियों में शामिल हैं
 - राज्य विधान सभा में कसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मलिने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति
 - **अवशिवास प्रस्ताव** के समय
 - राज्य में संवेधानकि तंत्र के विफलता के मामले में (**अनुच्छेद 356**)
- संविधान के **अनुच्छेद 164** के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्तिराज्यपाल द्वारा कसी की सलाह के बनिए जाती है। लेकिन वह व्यक्तिगत मंत्रियों की नियुक्तिमुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।
 - अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कसी व्यक्तिको मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिये राज्यपाल कसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बर्खास्त कर सकता है।

11



परिचय

- केंद्र में जिस तरह से राज्य का प्रमुख राज्यपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री) की सलाह से कार्य करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की समीक्षा वायोग को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वह राज्यपाल किया गया है कि राज्यपाल, राज्यपति के प्रसादर्पण पद पर हो।
- सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु इसमें कई भी वह राज्यपति को अपना व्यापार देकर सेवा से यूज़ हो सकता है।
- राज्यपति, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिये पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् एवं राज्यपाल की नियुक्ति तक वह अपने पद पर बन रहता है।

राज्यपाल पद से संबंधित चुनौतियाँ

- राज्यपाल की भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख से अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में प्रतिलिपित होती है।
- ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को संवेदितरांपत्र की शासन प्राप्त करता है अतः राज्यपाल संवेदितरांपत्री कार्यों में नियुक्तिप्रद का सुझाव मानने के लिये आधा नहीं होगा।
- राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी वर्खास्तरी की प्रक्रिया भी अल्प विवरणदाता है।
- केंद्र व राज्य में विपरीत सरकार होने की स्थिति में भी राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया जाता है।
- राज्यपालों की भूमिका पर समितियों व आयोग केंद्र राज्य संघ एवं अब तक तीन आयोग और दो समितियों नियुक्त की जा चाहिये।
- 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग
- 1969 में राजमनार समिति
- 1970 में भगवान सहाय समिति
- 1988 में सरकारिया आयोग
- 2011 में पुणी आयोग

योग्यताएँ

- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- किसी राज्य अवधि विधानसभा के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो।
- वह संसद अवधि विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिये। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी विधि से उसका संसद अवधि विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी।



समितियों व आयोगों की अनुशंसाएँ

- राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के पार्टी से हो इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए।
- राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।
- इस संवैधानिक प्रवधान को तकलीफ निरस कर देना चाहिये कि मन्त्रपिरिषिद राज्यपाल के प्रसादर्पण पद पर हो।
- विधानसभा में यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिये और अधिवेशन में बहुमत से जुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से होना चाहिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-cabinet-to-take-oath>

